



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1942 (श10)

(सं0 पटना 531) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2020

सं० 04/STA-P3-01/2016(Part-1)-6281—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 ऑफ 1988) की धारा-68 की उपधारा(1) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा(2) की द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इससे संबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-4 उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय-5 द्वारा या उसके अधीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रदत्त शक्तियों का यथा विहित प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. वे अनुसूची के स्तम्भ-3 में अंकित अपने-अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे:-

क्र.सं.	प्राधिकार का नाम	क्षेत्र और मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण
1	2	3	4
1	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना	सम्पूर्ण पटना प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना— अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव— सदस्य सचिव 3. प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता—सदस्य
2	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया	सम्पूर्ण मगध प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध—अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव—सदस्य सचिव 3. प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता—सदस्य
3	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर	सम्पूर्ण तिरहुत प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत—अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव—सदस्य सचिव 3. प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता—सदस्य
4	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर	सम्पूर्ण भागलपुर प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर— अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव—सदस्य सचिव 3. प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता —सदस्य

क्र.सं.	प्राधिकार का नाम	क्षेत्र और मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण
1	2	3	4
5	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा	सम्पूर्ण कोशी प्रमंडल मुख्यालय	1.प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी-अध्यक्ष 2.संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव-सदस्य सचिव 3.प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता-सदस्य
6	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ	सम्पूर्ण पूर्णियाँ प्रमंडल मुख्यालय	1.प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ-अध्यक्ष 2.संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव-सदस्य सचिव 3.प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता-सदस्य
7	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा	सम्पूर्ण दरभंगा प्रमंडल मुख्यालय	1.प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा-अध्यक्ष 2.संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव-सदस्य सचिव 3.प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता-सदस्य
8	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण	सम्पूर्ण सारण प्रमंडल मुख्यालय	1.प्रमंडलीय आयुक्त, सारण-अध्यक्ष 2.संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव-सदस्य सचिव 3.प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता-सदस्य
9	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर	सम्पूर्ण मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय	1.प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर-अध्यक्ष 2.संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव-सदस्य सचिव 3.प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला के अपर समाहर्ता-सदस्य

3. बिहार मोटर वाहन नियमावली के नियम-66 एवं 67 में प्रावधानित विहित प्रक्रियानुसार प्राधिकार के कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।

4. पूर्व निर्गत सभी अधिसूचना/आदेश इस हद तक अवक्रमित किये जाते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)-अस्पष्ट,
डप-सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 531-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>